भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Entry 155

154

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर (भोपाल)

PBR/निगरानी/रायसेन/भू०रा०/2017/1569 रा.पुनरीक्षण/ /पी.बी.आर./2017

1. शंकरलाल आत्मज स्व.श्री कनीराम,वयस्क
2. सुरेश कुमार आत्मज स्व.श्री कनीराम,वयस्क
3. विष्णु प्रसाद आत्मज स्व.श्री कनीराम,वयस्क
4. गोविंदसिंह आत्मज स्व.श्री कनीराम,वयस्क
5. संतोषकुमार आत्मज स्व.श्री कनीराम,वयस्क

(97)

निवासीगण–सलकनी तहसील गौहरगंज,
जिला–रायसेन -------आवेदकगण

अभिभाषक श्री ...एस. चौहान... द्वारा आज दिनांक 30/5/17 पेश।

30/5/17

विरूद्ध

1. श्रीमती सुजाता पत्नी श्री हिम्मतसिंह लोधा
आयु 30 वर्ष निवासी–नयागांव मकान नं.11/1,
तहसील रेहटी जिला–सीहोर (म.प्र.)

– सीताराम (मृत दिनांक 01 फरवरी 2017) वैध वारिसान

2. श्रीमती कौशल्याबाई बेवा श्री सीताराम
3. केदार सिंह आत्मज स्व.श्री सीताराम
4. गंगाबाई पुत्री स्व.श्री सीताराम

क्रमांक 2 से 4 समस्त निवासी – ग्राम – सलकनी तहसील – गौहरगंज जिला – रायसेन

5. म.प्र.शासन,
द्वारा–कलेक्टर महोदय,भोपाल ------अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदयजी,

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन के द्वारा प्रकरण कमांक 31/अपील/2015–16 (सुजाता विरूद्ध सीताराम एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 11.04.2017 से दुखी होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष समय सीमा में सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में

01. यह कि आवेदकगण के पिता अनावेदक कमांक 2 के ससुर तथा अनावेदक क्रमांक 3 एवं 4 के पितामह श्री कनीराम आत्मज श्री फत्तू लाल ग्राम सलकनी पटवारी हल्का नं.15, में स्थित भूमि खसरा कमांक 43, रकबा 4.96 खसरा कमांक 197 रकबा 0.98, खसरा कमांक 342 रकबा 7.40 कुल किता 3 कुल रकबा 13.34 एकड तथा ग्राम कोडिया के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/1569

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदकगण की ओर से श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक एवं अनावेदिका क्रमांक 1 की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । शेष अनावेदक पक्ष सूचित हों । अध्यक्ष	